वित्त (सामान्य) अनुभाग—4

संख्या जी०-1-1156/द-204/81

दिनांक 17 सितम्बर, 1988

कार्यालय-ज्ञाप

विषय— स्थानान्तरण पर ग्रहणकाल का उपयोग न कर पाने पर 6 माह के अन्दर उनका आकस्मिक अवकाश मे उपयोग।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को लोक-हित में हुये उसके स्थानान्तरण पर नये स्टेशन में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य करने की व्यवस्था वित्तीय नियमावली, खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम-105, सपठित सहायक नियम 137-184 में की गयी है। उक्त व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार के सेवक को स्थानान्तरण के फलस्वरूप, स्टेशन में परिवर्तन की दशा में, नये पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु तैयारी के लिये छः दिन के अतिरिक्त यात्रा में लगने वाला उचित समय अनुमन्य है। कतिपय मामलो में प्रशासनिक दृष्टिकोण से, सरकारी सेवक से अपेक्षा की जाती है कि स्थानान्तरण होने पर नव नियुक्ति स्थान पर तुरन्त कार्यभार ग्रहण कर ले। ऐसी स्थिति में अनुमन्य कार्यभार ग्रहणकाल का उपभोग न कर पाने के फलस्वरूप सरकारी सेवक को कोई अन्य सुविधा अनुमन्य नहीं है। सम्बन्धित सरकारी सेवक के परिवार के सदस्यों के लिये व्यवस्था करने में होने वाली कठिनाई के निवारणार्थ वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (1987) के प्रत्यावेदन तथा उस पर विचार करने के लिये गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प संख्या-वे० आ०-1-224 जी/दस-59 (एम) 1988, दिनांक 14 अगस्त, 1988 में लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय ने ऐसे सरकारी सेवकों जिसके द्वारा स्थानान्तरण की दशा में नये पद का कार्यभार ग्रहण के लिये यथा अनुमन्य तैयारी के लिये छः दिन के कार्यभार ग्रहणकाल का उपयोग यदि नहीं किया जाता है तो उन्हें ऐसे अवशेष कार्यभार ग्रहणकाल को विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में स्थानान्तरण के छः माह के भीतर उपयोग करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

2— यह आदेश दिनांक 14 अगस्त, 1988 के बाद हुये स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में प्रभावी होगा।

3— सम्बन्धित नियमों में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

सोमदत्त त्यागी,
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner